कार्यालय विहित प्राधिकारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण
पन्ना लाल पार्क, राजा उदय प्रताप मार्ग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
प्रपत्र - (क)
(कृपया विनियम 2 देखिये)

विकास कार्य रोकने की सूचना

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा-1 के अधीन आदेश।

कार्यालय विहित प्राधिकारी (प्रवर्तन) उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम
विकास प्राधिकरण, विकास छेत्र वाराणसी

दिनांक : 04/09/2025

वाद संख्या : VDA/Z1/ANI/2025/0006151

प्रेषण दिनांक : 04/09/2025

प्रेषण संख्या : VDA/DSP/0023793

वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाम श्री संजय चौहान

भूखण्ड सं0 एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल , एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,-, -, आवास विकास

क्योंकि आपके द्वारा एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल में, स्थित भूमि का महायोजना / परियोजना विकास योजना का उल्लंघन करके धारा-14 के निर्दिष्ट अनुज्ञा अनुमोदन या मंजूरी के बिना ऐसी शर्तों का उल्लंघन करके जिनके अधीन धारा-14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुमोदन या मंजूरी की गयी है। विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / किया जा रहा है।

अतएव एतदद्वारा में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके यह अपेक्षा करता हूँ और आदेश देता हूँ कि उपर्युक्त विकास कार्य आदेश की तामील की तारीख से बंद कर दिया जाए और उस तारीख से बंद रहे। इस आदेश का धारा-26-27 के उपबंधों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा-28 (4) की ओर भी दिलाया जाता है जिसके अधीन उपरोक्त पारित आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला कोई व्यक्ति जुर्माने से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान आदेश का तामिल होने के पश्चात अनाधिकृत निर्माण जारी रहा हो, रू०-200/- प्रतिदिन तक हो सकेगा।

Shivaji Mishra
सक्षम प्राधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण

अहायार की मंजिल...

कार्यालय विहित प्राधिकारी

वाराणसी विकास प्राधिकरण
पन्ना लाल पार्क, राजा उदय प्रताप मार्ग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

पुलिस कॉपी

प्रेषक :

सक्षम प्राधिकारी (प्रवर्तन) Shivaji Mishra (वाराणसी विकास प्राधिकरण)

सेवा में,
पुलिस आयुक्त
वाराणसी

भूखण्ड सं0 एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल , एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,-, -, आवास विकास

निवास का पता : एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,-, -

दिनांक :

प्रेषण दिनांक : 04/09/2025

वाद संख्या : VDA/Z1/ANI/2025/0006151

प्रेषण संख्या : VDA/DSP/0023794

विषय : VDA/Z1/ANI/2025/0006151, , श्री संजय चौहान - भूखण्ड सं0 एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,-, -, के सम्बंध में.

महोदय,

श्री संजय चौहान, भूखण्ड सं0 एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,-, -, अनाधिकृत निर्माण किया जा रहा है, इस संदर्भ में पक्ष को उत्तर प्रदेश नगर योजना तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) तथा धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत कारण बताओ तथा काम रोको नोटिस जारी कर दी गयी है, परंतु पक्ष ने अभी तक कार्य नहीं रोका है।

अतः आपको यह पत्र इस आशय तथा अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि उक्त कार्य को रुकवा कर इसी अधिनियम की धारा 28 (3) के अन्तर्गत इस विभाग को सूचित करने की कृपा करें।

Shivaji Mishra
सक्षम प्राधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

प्रतिलिपि -

1- थाना अध्यक्ष SO, CANTT को इस आशय तथा अनुरोध के साथ प्रेषित की कि वह उक्त अनाधिकृत निर्माण को पुलिस की सहायता रुकवाकर इसी अधिनियम की धारा 28(3) के अन्तर्गत इस विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें।

2- श्री संजय चौहान, भूखण्ड सं0 एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल ,एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल एस0 2/410 ए-बी1 , भूखण्ड संख्या-ए-30 व ए-31, मौजा-सिकरौल, पत्रकारपुरम कालोनी गेट न0-2, शिवपुर वार्ड-सिकरौल .-, -

Shivaji Mishra
सक्षम प्राधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (जोन–1)

नोटिस, अन्तर्गत धारा–26क(1),(3),(4) एवं धारा–27(1) उत्तर प्रदेश नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973

नोटिस संख्या– एस0–84/25(नो0)/वि0प्रा0/भवन(जोन–1)/2025–26 दिनांक– 04-09-2025

श्री संजय चौहान एवं अन्य आदि
निवासी– मकान नम्बर एस.2/410 ए–बी1, सिकरौल, मौजा–सिकरौल,
वार्ड–सिकरौल, वाराणसी।
मो0नं0–7309303024 (अधिवक्ता)

प्रभारी अधिकारी (अवाप्ति/सीलिंग) की आख्या दिनांक 04.09.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि "वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी की पत्रकारपुरम आवासीय योजना अन्तर्गत आराजी सं0–61 स्थित मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी प्राधिकरण की अर्जित व सीलिंग से प्राप्त भूमि है। आज दिनांक 04.09.2025 को उक्त प्रश्नगत भूमि आराजी सं0–61 स्थित मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी जिसपर भू–खण्ड संख्या ए–30, ए–31, ए–36, ए–37, ए–38 ए–39 व ए–40 प्राधिकरण द्वारा नियोजित है जिसमें से भू–खण्ड संख्या ए–30 व ए–31 रकबा 425 वर्गमी0 जो प्राधिकरण की अर्जित व सीलिंग से प्राप्त भूमि है, उस पर संजय चौहान पुत्र स्व0 शिवमूरत निवासी म0सं0–एस.2/410 ए–बी–1, सिकरौल, वाराणसी एवं 10 से 12 अधिवक्ताओं के सहयोग से अनधिकृत रूप से निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कर कब्जा किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाना अति आवश्यक है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत विवादित भूमि आराजी सं0–61 स्थित मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी भू–खण्ड संख्या ए–30, ए–31, ए–36, ए–37, ए–38 ए–39 व ए–40 प्राधिकरण द्वारा नियोजित है, जिसमें से भू–खण्ड संख्या ए–30 व ए–31 रकबा 425 वर्गमी0 पर श्री संजय चौहान पुत्र स्व0 शिवमूरत निवासी म0सं0–एस.2/410 ए–बी–1, सिकरौल, वाराणसी एवं 10 से 12 अधिवक्ताओं के सहयोग से स्थल पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण कर किये जा रहे कब्जे को तत्काल रोकवाने तथा उ0प्र0 नगर नियोजन व विकास अधिनियम, 1973 की धारा–26क के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।"

उपरोक्त आख्या से समाधान हो गया है कि उपरोक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण की अवाप्त एवं सीलिंग से प्राप्त भूमि है, जिसपर आप द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कर अवैध कब्जा के प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यह भी सूच्य है कि उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने पूर्व विकास प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य, परन्तु आप द्वारा उक्त वर्णित धाराओं के उल्लंघन करते हुए, स्थल पर निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है/किया जा रहा है। उक्त कार्य उत्तर प्रदेश नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा–26क के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध भी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अपेक्षित है कि आप स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से **दिनांक 19.09.2025 को पूर्वाहन् 11.00 बजे** विकास प्राधिकरण कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर कारण बतलावें कि क्यों न आपके विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–26क एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत उपरोक्त निर्माण का हटवाते हुए अग्रेतर विधिक कार्यवाही क्यों न की जाय?

जोनल अधिकारी

नोट–उपरोक्त अधिनियम की धारा–26(1) की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अधिनियम की धारा–14 के अन्तर्गत बिना अनुमति प्राप्त किये निर्माण कार्य करने पर दस हजार रूपये तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है और अपराध जारी रहने के दशा में अपराध के निमित्त प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त जिसमे कि अपराध जारी रहे 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थ दण्ड लगाया जा सकता है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (जोन–1)
(निमार्ण कार्य बन्द करने की नोटिस)

नोटिस संख्या– एस0–84/25(नो0)/वि0प्रा0/भवन(जोन–1)/2025–26 दिनांक– 04-09-2025

श्री संजय चौहान एवं अन्य आदि
निवासी– मकान नम्बर एस.2/410 ए–बी1, सिकरौल, मौजा–सिकरौल,
वार्ड–सिकरौल, वाराणसी।
मो0नं0–7309303024 (अधिवक्ता)

(नोटिस उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1973 की धारा 28 (1) के अन्तर्गत)

अवर अभियन्ता की रिपोर्ट एवं प्रभारी अधिकारी (अवाप्ति/सीलिंग) की रिपोर्ट दिनांक 04.09.2025 से मुझे समाधान हो चुका है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत **निवासी– मकान नम्बर एस.2/410 ए–बी1, सिकरौल, मौजा–सिकरौल, वार्ड–सिकरौल, वाराणसी** के द्वारा आराजी सं0–61 स्थित मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी जिस पर प्राधिकरण द्वारा विकसित पत्रकारपुरम आवासीय योजना के भू–खण्ड संख्या ए–30, ए–31, ए–36, ए–37, ए–38 ए–39 व ए–40 प्राधिकरण द्वारा नियोजित है, जिसमें से भू–खण्ड संख्या ए–30 व ए–31 रकबा 425 वर्गमी0 पर आप द्वारा निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है/किया जा रहा है। यह भी सूच्य है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–14 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार प्राधिकरण से अनुज्ञा प्राप्त किया जाना भी आवश्यक है, परन्तु आपके द्वारा प्राधिकरण से बिना अनुज्ञा प्राप्त किये अनधिकृत निमार्ण/विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है/किया जा रहा है।

अतः उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–28(1) के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है कि आप उक्त स्थल पर किये जा रहे निमार्ण/विकास कार्य को अविलम्ब रोक दें। अवहेलना की दशा में आपके विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–28 की उप धारा (2) से (6) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। एतद् द्वारा आपको चेतावनी दी जाती है कि आप द्वारा उक्त आदेशों के पालन न किये जाने की दशा में आपके विरूद्ध न्यायलय में परिवाद प्रस्तुत किया जायेगा। जिस पर दस हजार रूपये तक अर्थदण्ड लग सकता है और अपराध अनवरत रूप से होने की दशा में उक्तदण्ड के साथ–साथ जब तक आदेश का पालन नहीं किया जाता, प्रत्येक ऐसे दिन के निमित्त जिसमें आपका अपराध जारी रहे, रू0 200/– प्रतिदिन के हिसाब से और भी अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

जोनल अधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी
न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (जोन–1)

प्रेषक :

जोनल अधिकारी (जोन–1)
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

सेवा में,

थानाध्यक्ष
थाना–कैण्ट,
वाराणसी।

नोटिस संख्या– एस0–84/25(नो0)/वि0प्रा0/भवन(जोन–1)/2025–26 दिनांक– 04-09-2025

विषय– निवासी– मकान नम्बर एस.2/410 ए–बी1, सिकरौल, मौजा–सिकरौल, वार्ड–सिकरौल, वाराणसी, वार्ड–सिकरौल, वाराणसी में किये जा रहे अनधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 28(1) के अन्तर्गत **श्री संजय चौहान एवं अन्य आदि निवासी– मकान नम्बर एस.2/410 ए–बी1, सिकरौल, मौजा–सिकरौल, वार्ड–सिकरौल, वाराणसी** को प्राधिकरण के अवाप्त एव सीलिंग से प्राप्त आराजी सं0–61 स्थित मौजा–सिकरौल, परगना–शिवपुर, तहसील–सदर, जिला–वाराणसी, जिस पर प्राधिकरण द्वारा विकसित पत्रकारपुरम आवासीय योजना के भू–खण्ड संख्या ए–30, ए–31, ए–36, ए–37, ए–38 ए–39 व ए–40 प्राधिकरण द्वारा नियोजित है, जिसमें से भू–खण्ड संख्या ए–30 व ए–31 रकबा 425 वर्गमी0 पर अनधिकृत रूप से निर्माण/विकास कार्य प्रारम्भ करने/किये जाने पर इस विभाग द्वारा एक नोटिस इस आशय से जारी की गयी है कि वे उपर्युक्त स्थल पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण/विकास कार्य को रोक दें, किन्तु उन्होंने इस आदेशो का पालन नहीं किया।

अतः आप उपरोक्त वर्णित प्राधिकरण के अवाप्त/सीलिंग से प्राप्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर तथा बिना प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त कर अनधिकृत रूप से किये जा रहे निमार्ण/विकास कार्य को उक्त अधिनियम की धारा–28(2) के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर तत्काल रुकवा दें। यदि वे आप के कहने से कार्यबन्द न करें, तो कार्य करने वाले एवं उसके समस्त सहायकों सहित सभी को स्थल से तत्काल हटा दें।

भवदीय,

जोनल अधिकारी।

सक्षम प्राधिकारी
वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी